निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 288/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सीताराम पुत्र श्री भौरिया जाति मीणा निवासी भावपुरा,तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

2 हरिनारायण पुत्र गुल्लाराम

3 अर्जुन लाल पुत्र गुल्लाराम

जाति मीणा, निवासी ग्राम भावपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 112/2022 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 63/2022 ब उनवानी हरिनारायण बनाम बाबूलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री राम अवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भौरीलाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 24.01.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 112/2022 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 63/2022 ब उनवानी हरिनारायण बनाम बाबूलाल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री भौरीलाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी व उसके भाई ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र एल आर एक्ट की धारा 128 पत्थरगढी व सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत किया । जिसके नम्बर 108/2018 है। जिसमें हाल अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को भी बतौर पडोसी खातेदार की हैसियत से पक्षकार बनाया गया । तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जबाब प्रस्तुत किया तथा जवाब दावे में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया तथा जबाब दावे में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करने बाबत सहमत हो गये तथा

जिला कलक्टर
जयपुर

सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.04.2019 को पत्थरगढी व सीमांकन का आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी के हक में पत्थरगढी आदेश दिनांक 08.04.2019 की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कोरोना काल के बाद 26.05.2022 व 28.06.2022 की तारीख सीमांकन व पत्थरगढी बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 व अन्य पक्षकारान को सूचित करने बाबत नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार जी से नोटिस प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने दुर्भावना एवं प्रार्थी को हैरान व पेशान करने तथा उक्त सीमांकन व पत्थरगढी नहीं हो सके, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूंठे तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र एल आर एक्ट 136 का दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तुत किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 09.06.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुये आदेश दिया कि सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करवाई जावे, अर्थात धारा 136 का प्रार्थना पत्र सीमांकन व पत्थरगढी के आदेश को रूकवाने के सन्दर्भ में ही प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने क्षेत्राधिधर से बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व में जारी आदेश दिनांक 08.04.2019 की कियान्विति अप्रत्यक्ष रूप से स्थगित कर दी। साथ में अप्रार्थी संख्या 1 ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर उक्त आदेश पारित करने के पश्चात अपने स्व विवेक से ही तहसीलदार एवं थानाधिकारी को अपने आदेश 9.6.2022 की पालना सुनिश्चित कराने बाबत पत्र जारी किया । स्थगन जारी होने के पश्चात प्रार्थी व उसके भाई ने आगामी तारीख पेशी 16.06.2022 को प्रार्थना पत्र व स्थगन का जवाब प्रस्तुत कर दिया तथा अपने जबाब में अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने झूंठे व मनघढन्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को 08.04.2019 की कियान्विति स्थगित करवाना चाहता है। जिसके सन्दर्भ में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम (1) व (3 ए) का प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र में भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सभी तथ्यों को उल्लेखित करते हुये दावा व स्थगन खारिज करने हेतु निवेदन किया, जिसकी नकल अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 16.06.2022 को प्रदान कर दी गई। उसके पश्चात करीब 16 बार पत्रावली सुनवाई हेतु नियत रही जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा कोई ना कोई बहाना बना कर तारीख पेशी लेते रहे है । दिनांक 17.10.2022 को प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस सुना दी, किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने जानबूझ कर बहस नहीं की व पत्रावली को पार्ट हर्ड करते हुये आगामी पेशी प्रदान कर दी । करीब तीन पेशियों पर आज दिवस तक कोई कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नहीं की गई । इस प्रकार पिछले 5 माह से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजनैतिक प्रभाव में आकर पत्रावली में कोई कार्यवाही नही की जा रही है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के हक में जारी आदेश की पालना भी नहीं हो पा रही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 क्षेत्रीय राजनिति में सक्रिय व्यक्ति है तथा ऊंची पहुंच रखने वाले व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 पर राजनैतिक दबाव बना कर उक्त प्रकरण में न्याय निर्णय पारित नहीं करने दिया जा रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी विधिक अधिकार विधि के अनुसार कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई आपत्ति व उज्र अन्य किसी पक्षकार को है, तो उसे एल.आर.एक्ट के प्रावधानुसार उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये, किन्तु कोई भी न्यायालय अपने स्वयं के संवैधानिक विधि के तहत पारित आदेश को अन्य आदेश से नही रोक सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक

जिला कलक्टर
जयपुर

08.04.2019 की कियान्विति को स्थिगित किया गया है, जो कानून की मंशा के विरुद्ध है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कानूनी आधार पर वैद्यता का प्रश्न है, तो धारा 136 एल॰आर॰ एक्ट में मात्र तकनिकी त्रुटि या एडमिटेड त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2015(1) पेज 10 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को जयपुर स्थित किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 एल आर एक्ट बाबत पेश किया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व में राजस्व नक्शे में परिवर्तन कर दिया है जिससे उत्तरदाता अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे शुदा भूमि में अप्रार्थीगण का गलत प्रकार से नक्शे में सीमा बढा दी है जिसे दुरस्त करने हेतु उत्तरदाता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी बदनीयतिवश गलत नक्शे के आधार पर उत्तरदाता अप्रार्थीगण की भूमि पर पत्थरगढी आदेश की आड में कब्जा करना चाहते है। वास्तविक रूप से प्रकरण में वाद का बिन्दू केवल यह है कि पूर्व रिकार्ड व वर्तमान रिकार्ड में नक्शे में सीमा परिवर्तित की गई है अथवा नहीं इस बाबत कोई कार्यवाही ना हो तथा गलत नक्शे के आधार पर पत्थरगढी कराने के लिए प्रार्थी आमादा है । इसी बदनियती से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा धारा 136 के तहत रिकार्ड दुरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें दिये गये स्थगन को लेकर प्रार्थी ने आपत्ति की है तथा आरोप लगाया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पिछले 5 माह से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.09.2012 के अनुसार प्रार्थी सीताराम द्वारा आदेश 39 (1)(3ए) जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसका अप्रार्थी संख्या 2 व 3 हरिनारायण व अर्जुन लाल द्वारा दिनांक 17.11.2022 को जबाब पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि पिछले 5 माह से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधीकारी द्वारा पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन पर किसी प्रकार की विवेचना किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इसके लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने भी अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। इस प्रकार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति इस्य कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर